महत्वपूर्ण

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

पत्रांक–20/17 / वि०प्रा० / विन्यास / 2018–19   दिनांक–
ग्रु०हा०

सेवा में,

अमर नाथ मौर्या पुत्र स्व० राम प्रसाद मौर्या
आ०सं० = 545 मौजा = ककरमत्ता
परगना = देहात अमानत, नगवां
वाराणसी

महोदय,

आराजी संख्या– 545 मौजा ककरमत्ता परगना देहात अमानत वार्ड नगवां पर आप द्वारा एक ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, जो पत्र दिनांक 27-2-18 द्वारा निर्गत है।

पर्यावरण को नियंत्रित करने की मैकेनिज्म तथा इसके मॉनीटरिंग की व्यवस्था (SOP) विषयक हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०–21/2014 तथा एम०ए० सं०–360/2016 में पारित आदेशों के अनुपालन में तथा मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक– 1760/पी०एस० एम०एस०/2016 दिनांक 18.11.2016 एवं विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक 3595/नौ–5– 206–29 रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण एवं विकास प्रक्रिया से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्थलों पर निम्नानुसार मैकेनिज्म अपनाये जाने के निर्देश दिये गये है, जो निम्नवत् है :–

- Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on and part of the street, roads in any colony.
- The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

- The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all material help, investigation and treatment to the workers involved int the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
- It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with be fixing sprinkles and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- Wind breaking walls around construction site.
- All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
- Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance. Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a year.

- Pollution Under Control (PUC) certificate are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- Viable emission control technologies exit to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysis (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR). Lean NOx catalysts (LNXs), Lean NOx traps (LNTs).
- Green belt creation will also act as a mitigating factor.

कृपया अपने उक्त भवन के निर्माण में उपरोक्तानुसार NGT के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए ही भवन निर्माण करायें तथा स्थल पर वांछित पेड़/ग्रीनरी एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य वांछित व्यवस्थाएं जो आपके मानचित्र पर निर्धारित है, को पूर्ण कराने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन करें।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में आप द्वारा किये जा रहे अनुपालन की मासिक सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(सुबोध राय)
अधीक्षण अभियन्ता।

पत्रांक– /वि0प्रा0/विन्यास/2018–19 **दिनांक–**

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, वा0वि0प्रा0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुबोध राय)
अधीक्षण अभियन्ता।

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0....257..../जो0 अ0 दिनांक....26-12-18

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि ~~श्रीमती~~/श्री....अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या व ~~पिता/पति का नाम~~ श्री....लाल बहादुर मौर्या पुत्र रामप्रसाद मौर्या (वारिस)....आराजी संख्या....545....मौजा....ककरमत्ता.... वार्ड....भेलूपुर....में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक..........................20

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन **निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293** के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

P.T.O

शर्तें–

1. भूखण्ड पर 12 पेड़ लगाना होगा।
2. भविष्य में विभाग द्वारा शुल्कों की देयता निकलती है तो पक्ष को देय होगी।
3. शपथ पत्र में दिये गये कथन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. निर्माणकर्ता द्वारा भवन सामग्री, भूखण्ड परिसर के भीतर ही रखी जायेगी तथा किसी प्रकार से सड़क यातायात अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति निर्माणाधीन स्थल पर रखा जायेगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
6. निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
7. भू–स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित, बॅटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा; इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
8. वाराणसी विकास प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
9. प्रस्तावना के अनुरूप ही निर्माण कराना होगा।
10. नियमानुसार रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान एवं सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना मानक के अनुसार पक्ष को कराना होगा।
11. क्षेत्र में पी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर पक्ष को पी0एन0जी0 कनेक्शन लेना होगा।
12. स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय धटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष,स्ट्रचरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट की होगी।
13. स्वीकृति के समय अंकित प्रतिबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा
14. कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
15. रेरा के नियमों का पालन करना होगा ।
16. स्थल पर बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर स्वीकृति के संबंध में विवरण अंकित करना होगा।
17. विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3595/नौ–5–206–29 रिट/2014 दिनांक 08.11.16 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
18. N.G.T के संलग्न निर्देशों का पालन करना होगा